आज दिनांक-17.10.2013 को 11.00 बजे पूर्वाह्न से अनुमंडल पदाधिकारी, उदाकिशुनगंज की अध्यक्षता मे आयोजित आपूर्ति की अनुमंडल स्तरीय अनुश्रवण समिति की बैठक की कार्यवाही:-

---

उपस्थिति-पंजी के अनुसार ।

सर्वप्रथम गत बैठक की कार्यवाही की सम्पुष्टि की गयी तदोपरांत बैठक की कार्यवाही प्रारंभ करते हुए अनुमंडल पदाधिकारी, उदाकिशुनगंज द्वारा उपस्थित सदस्यों/प्रतिनिधियों को बैठक में ससमय भाग लेने के निमित धन्यवाद देते हुए बैठक की कार्यवाही प्रारंभ की गई।

प्रस्ताव सं0-01:- समीक्षा के क्रम में प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, पुरैनी एवं सहायक गोदाम प्रबंधक, बिहार राज्य खाद्य निगम, बिहारीगंज बैठक में अनुपस्थित रहने के कारण उनके कार्यो की समीक्षा नहीं हो पायी।

अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा संबंधित पदाधिकारी से स्पष्टीकरण की मांग करते हुए तत्काल उनके वेतन पर रोक लगाने का निदेश दिया गया।

प्रस्ताव सं0-02:- अनुमंडल पदाधिकारी, उदाकिशुगनंज द्वारा दिनांक- 29.09.2013 को अनुमंडल स्तरीय (बचे हुए कूपन) कैम्प वितरण हेतु आयोजन किया गया था। प्रखंड विकास पदाधिकारी, उदाकिशुनगंज के द्वारा कुछ उपभोक्ता के बीच कूपन का वितरण किया गया शेष प्रखंड के द्वारा कूपन वितरण का कार्य नहीं करने के कारण खेद व्यक्त किया गया।

अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि कूपन से वंचित उपभोक्ता से आवेदन प्राप्त कर उक्त आवेदन की जाँच पंचायत सचिव से कराने के उपरांत संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी से अनुशंसा प्राप्त कर अपने स्तर से कूपन वितरण कराना सुनिश्चित करें।

प्रस्ताव सं0-03:- बैठक में उपस्थित जिला परिषद सदस्य, बिहारीगंज श्री संजय कुमार सिंह द्वारा बताया गया कि हथिऔंधा पंचायत के लाभुक को जन वितरण प्रणाली विक्रेता, बिहारीगंज के पास आवश्यक सामग्री उठाव हेतु आना पड़ता है। जबकि हथिऔंधा पंचायत अंतर्गत जन वितरण प्रणाली विक्रेता कार्यरत् है।

अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, बिहारीगंज को हथिऔंधा पंचायत के लाभुक को पंचायत के ही किसी जन वितरण प्रणाली विक्रेता के साथ संबद्ध करने के दिशा में अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु निदेश दिया गया।

प्रस्ताव सं0-04:- भ्रमणशील किरासन तेल विक्रेता निर्धारित स्थल पर वितरण करने का निदेश संबंधित प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा दिया गया। निदेशानुसार सभी भ्रमणशील किरासन तेल विक्रेता द्वारा अनुपालन किया जा रहा है।

अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा निदेश दिया गया कि भ्रमणशील किरासन तेल विक्रेता निर्धारित स्थान पर किरासन तेल का वितरण करेंगे तथा वितरण के क्रम में पाँच गणमान्य व्यक्तियों को हस्ताक्षर कराकर सत्यापन कराना सुनिश्चित करेंगे।

प्रस्ताव सं0-05:- बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा बताया गया कि अन्नपूर्णा योजना के लाभुकों का अद्यतन सूची सभी प्रखंड का उपलब्ध करायी जाय।

E/Aman/Proc.let/Gulab babu/sdoudakishunganj

Create PDF document with Modern PDF Writer, PDF Server. Buy full version now to remove this line.

अनुमंडल पदाधिकारी, महोदय द्वारा सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि अन्नपूर्णा की सूची के साथ अगली बैठक में भाग लेना सुनिश्चित करेंगे।

प्रस्ताव सं0-06:- आज की बैठक में प्रस्ताव लाया गया कि भूखमरी से नहीं मरने संबंधी एक क्विंटल अनाज की आपूर्ति सभी प्रखंड अंतर्गत एक-एक जन वितरण प्रणाली विक्रेता को उपावंटित की गई है।

अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि अपने प्रखंड से संबंधित विक्रेता का सूची उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

प्रस्ताव सं0-07:- श्री मणिशंकर सिंह, प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि उदाकिशुनगंज प्रखंडान्तर्गत रामबाग टोला के 11 लाभुक को जन वितरण प्रणाली विक्रेता द्वारा कूपन के आधार पर किरासन तेल आपूर्ति नहीं की जाती है।

प्रखंड आपूर्ति पदधिकारी, उदाकिशुनगंज को जाँच कर प्रतिवेदन हेतु निदेश दिया गया।

प्रस्ताव सं0-08:- अनुमंडल पदधिकारी द्वारा समीक्षा के क्रम में पाया गया कि सांसद एवं विधायक प्रतिनिधि की अद्यतन सूची आप्राप्त है। इस संबंध में सभी राजनैतिक पार्टी की जिला अध्यक्ष से उनके पार्टी प्रतिनिधि की सूची की मांग की जाय।

प्रस्ताव सं0-09:- गत बैठक में सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी को जन वितरण प्रणाली विक्रेता एवं हॉकर को ड्राम हरा रंग से रंगाकर अनुज्ञप्ति सं0/ नाम एवं दर अंकित कराने के पश्चात् अनुपालन प्रतिवेदन की मांग की गयी थी, परन्तु आजतक प्रतिवेदन अप्राप्त है। सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी को दिशा निर्देश के आलोक में सख्ती से अनुपालन हेतु निर्देशित किया गया तथा जन वितरण प्रणाली विक्रेता द्वारा सूचनापट्ट संधारित करने हेतु पुनः स्मारित करना है।

प्रस्ताव सं0-10:- विगत बैठक में यह प्रस्ताव लाया गया कि जन वितरण प्रणाली विक्रेता का पहचान पत्र निर्गत किया जाना है। परन्तु किसी भी प्रखंड से पहचान पत्र हेतु प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ।

अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि सभी जन वितरण प्रणाली विक्रेता से आवेदन प्राप्त कर अनुशंसा के साथ अवेदन अग्रसारित करें ताकि सभी जन वितरण प्रणाली विक्रेता का पहचान पत्र निर्गत किया जा सके।

अंत में धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

अनुमंडल पदाधिकारी,
उदाकिशुनगंज।

ज्ञापांक 3031-2 / दिनांक 24-10-13

प्रतिलिपि- सांसद प्रतिनिधि / विधायक प्रतिनिधि / सभी जिला परिषद् सदस्य / सभी प्रखंड प्रमुख/ सभी मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधि को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि- सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी / सभी आपूर्ति निरीक्षक / सभी किरासन तेल थोक विक्रेता, अनुमंडल उदाकिशुनगंज को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि- जिला प्रबंधक, रा0खा0नि0, मधेपुरा/ सहायक प्रबंधक, रा0खा0नि0, बिहारीगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि- जिला आपूर्ति पदाधिकारी, मधेपुरा को सूचनार्थ प्रेषित।

अनुमंडल पदाधिकारी,
उदाकिशुनगंज।

E/Aman/Proc.let/Gulab babu/sdoudakishunganj

Create PDF document with Modern PDF Writer, PDF Server. Buy full version now to remove this line.